10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

II/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/3874

श्रीमती बारो पत्नी स्व0 श्री राजाराम कुशवाह, निवासी – ग्राम बरकी सराय तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)
—— आवेदिका

12-10-17

विरूद्ध

परशुराम कुशवाह पुत्र नारायणजू निवासी – ग्राम बरकी सराय तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)
—— अनावेदक

7-11-17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 22 /2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

12/10/17

1– यहकि, अनावेदक परशुराम कुशवाह द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार भाण्डेर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम बरकी सराय तहसील भाण्डेर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 215 रकवा 0.85 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 216 रकवा 0.41 है0, सर्वे क्रमांक 217 रकवा 0.40 है0, सर्वे क्रमांक 444, 445 शामिल नम्बर रकवा 0.992 कुल किता 4, कुल रकवा 1.158 हैक्टेयर में से 1/2 भाग अर्थात रकवा 0.579 हैक्टेयर भाग पर अपना नामान्तरण किये जाने हेतु वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 45/अ–6/2013–14 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदिका के द्वारा धारा 32 का आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि अनावेदक द्वारा जो आवेदन पत्र वसीयतनामा के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 215, 216, 217, 444, 445 की भूमि के संबंध प्रस्तुत किया है। उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि रामचन्द्र पुत्र श्री कल्लू के नाम पर खसरा खतौनी वर्ष 2014–15 में दर्ज नहीं है बल्कि उक्त सर्वे नम्बर आवेदिका महिला बारो वेवा राजाराम के नाम दर्ज है। इस भूमि पर नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण क्रमांक 18/1991–92/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 09.10.1992 के विरूद्ध आपत्ति की थी। उक्त आपत्ति को स्वीकार कर, पूर्व तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/92–93/बी–121 आदेश दिनांक 18.01.1993 से अनुविभागीय अधिकारी से पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त कर प्रकरण क्रमांक 23/92–93 विविध 121 में पारित आदेश दिनांक 21.12.1993 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09.10.1992 निरस्त किया। तथा प्रकरण में विचाराधीन उक्त सर्वे क्रमांको नारानजू व राजाराम पुत्र कल्लू के स्थान पर राजाराम के मृतक होने पर उनके वारिसान पत्नी बारो बेवा राजाराम भूरी पुत्री राजाराम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 3874

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
6-2-19	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 22 / 2015–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–8–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई–योग्य नही है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्व कलेक्टर / अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी में होगी। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	